



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-115/2022

राज्य

बनाम्

दिनेश कुमार रजक

—: आदेश :—

63/031

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 952/एम0 दिनांक 01.10.2022 एवं पत्रांक 1072/एम0 दिनांक 21.11.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद मनिका थाना सन्हा संख्या-05/2022 दिनांक-29.09.2022 से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) के आलोक में जप्त ट्रैक्टर Mahindra Model No.-B275 DI MKMDLX रजि0 नं0-JH03Y-9444, Eng. No.- RKK2DBN0203, Chassis No-MBNAAADAPKRK02350 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि थाना प्रभारी मनिका द्वारा दिनांक 29.09.2022 को ग्राम-दुमुहान स्थित औरंगा नदी से ट्रैक्टर वाहन द्वारा अवैध रूप से बालू खनिज के उठाव किये जाने संबंधी प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर उसके रोकथाम हेतु मनिका थानान्तर्गत स्थलीय निरीक्षण एवं जांच के क्रम में ग्राम मनिका के पास महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन द्वारा ट्रॉली पर लदे करीब-100 सी0एफ0टी0 अवैध बालू खनिज का परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज सहित वाहन को

9/8

थाना प्रभारी, मनिका थाना द्वारा जप्त कर मनिका ब्लॉक पिकेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के तहत राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी दण्ड शुल्क भुगतान करने हेतु तैयार हैं। यह विपक्षी का पहली गलती है, भविष्य में इस तरह के दोबारा गलती नहीं करेंगे। विपक्षी ट्रैक्टर रजि० नं०-JH03Y-9444 के मालिक है।

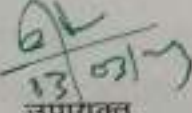
दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

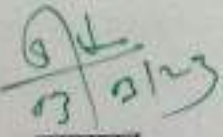
अतः जप्त वाहन जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि० नं०-JH03Y-9444, Eng. No.-RKK2DBN0203, Chassis No-MBNAAADAPKRK02350 को निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :-

1. उक्त वाहन की प्रकृति व पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे व वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


13/01/23
उपायुक्त,
लातेहार।


13/01/23
उपायुक्त,
लातेहार।